न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला।
उनवान श्योराम बगैरह बनाम राज. सरकार मुकदमा नं. 5???/13 (दक)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	कि तामिल जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. करवायी गयी थी जिसको एक माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इसे तामिल समयक मानी जाती है बावजूद समयक तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 04-1-2021 को पेश हो।
04-1-2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप. । प्रकरण में बहस वकील वादीगण सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 08-01-21 को पेश हो।
08-1-2021	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकील वादीगण उप. । प्रकरण में बहस वकील वादीगण पूर्व में सुनी जा चुकी है। दरबस्त बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष व मुताबिक जवाब तहसीलदार खण्डेला प्रकरण में निर्णय पारित फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, दस्तावेज, तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादीगण पर सगौर मनन किया गया जिससे दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08-1-2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) ... सत्यमेव जयते ... (सीकर)